# अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2018

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. मोतीराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी सुभाष मार्ग संतोष मसूरिया जोधपुर।<br>2. लादूराम पुत्र छोटूराम जाति जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी –सरदारपुरा , प्रथम बी रोड, श्याम फेन्सी स्टोर के सामने की गली, जोधपुर।<br>3. बालकिषन पुत्र स्व श्री छोटूराम जी जाति – कुम्हार (प्रजापत) निवासी–ग्राम तनावडा , तह.लूणी, जिला जोधपुर । हाल निवासी – सरदारपुरा , प्रथम बी रोड श्याम फेन्सी स्टोर के सामने की गली, जोधपुर।<br>4. हीरालाल पुत्र स्व श्री छोटूराम जी जाति –कुम्हार (प्रजापत) निवासी–ग्राम तनावडा तह, लूणी जिला जोधपुर। हाल निवासी–सरदारपुरा , प्रथम बी रोड श्याम फैन्सी स्टोर के सामने की गली, जोधपुर | | 1. मोहनलाल पुत्र श्री कूनाराम जी<br>2. छंवरलाल पुत्र श्री कूनाराम जी<br>3. पुखराज पुत्र श्री कूनाराम जी<br>4. जेठूराम पुत्र श्री कूनाराम जी<br>5. हरीराम पुत्र श्री कूनाराम जी<br>सभी जातियान् –प्रजापत , निवासीगण –ग्राम तनावडा, तह. लूणी जिला जोधपुर। हाल निवासी –सरदारपुरा , प्रथम बी रोड जोधपुर।<br>6. भंवरलाल पुत्र श्री मल्लाराम जाति –जाट , निवासी – ग्राम तनावडा तह. लूणी जिला जोधपुर।<br>7. ढलाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति – जाट निवासी ग्राम तनावडा तह. लूणी जिला जोधपुर |

: : आदेश : :  दिनांकः– 20.12.2019

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री पी. आर. प्रजापत

अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रामसुख शर्मा

### प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण ने एक स्थगन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तनावडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी पुश्तैनी कब्जासुदा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 118 रकबा 98 बीघा 19 बिस्वा आई हुई थी। प्रार्थीगण द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का बहुत ही सुदृढ तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के पिता/दादा स्व. श्री किशनाराम जी के नाम की थी। व किशनाराम के जायन्दा 3 पुत्र थे क्रमशः 1. स्व. कुन्नाराम, 2. स्व. छोटूजी, 3. प्रार्थी मोतीराम परन्तु किशनाराम जी के निधन के पश्चात् उक्त भूमि में किशनाराम के सभी वारिसान का नाम दर्ज न होकर मात्र कुनाराम उर्फ कूनिया का नाम ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जमाबन्दी की प्रति रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जमाबन्दी की प्रति न्यायालय के अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है। उक्त राजस्व वाद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

05 के मध्य जरिये राजीनामा के विद्रो किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने सही स्थिति को छिपाते हुये उक्त राजीनामें के आधार पर प्रार्थीगण को कहा कि मौके पर 98 बीघा 19 बिस्वा जमीन मौजूद नही होकर 84 बीघा जमीन ही है तथा उक्त जमीन में से 08 बीघा भूमि आपसी सहमति से दाखीदेवी के नाम ही राजस्व रेकर्ड में रखी जाने का तय हुआ तथा दाखीदेवी ही 08 बीघा भूमि का उपयोग उपभोग करने लगी तथा शेष बची जमीन 76 बीघा में प्रार्थीगण संख्या 01 एवं प्रार्थीगण संख्या 02 से 04 एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 का 1/3–1/3–1/3 हक हिस्सा हुआ यानि प्रत्येक के हक हिस्से में 25 बीघा 06 बिस्वा भूमि आती है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बताया कि मौके पर 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि कुल भूमि 98 बीघा 19 बिस्वा में से कम है तथा इसी आधार पर प्रार्थी संख्या एक के हिस्से में 25 बीघा 06 बिस्वा व प्रार्थी संख्या दो से चार के हिस्से में 25 बीघा 06 बिस्वा व स्व. कूनाराम के हिस्से में 25 बीघा 06 बिस्वा भूमि रखना तय कर वर्ष 2006 में राजीनामा किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थी संख्या एक मोतीराम ने अपने हिस्से की 25 बीघा 06 बिस्वा भूमि के तीन बराबर हिस्से कर अपने दो पुत्रों गोपाल प्रजापत एवं महेन्द्रकुमार के हक में प्रतिवादी से बेचाननामा निष्पादित करवा दिया तथा अपने स्वयं के तीसरे हिस्से का भी बेचाननामा अपने स्वयं के हक में करवा दिया तथा इसी प्रकार प्रार्थी संख्या दो से चार ने अपने हिस्से की 25 बीघा 06 बिस्वा भूमि का बेचाननामा अपने हक में निष्पादित करवा दिया। बेचाननामें निष्पादित करवाते समय अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रार्थीगण को बताया कि भविष्य में यदि शेष बची भूमि 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि निकलेगी तो प्रार्थीगण को आपका हिस्सा दे दिया जायेगा। जिस पर प्रार्थीगण ने उपरोक्तानुसार बेचाननामा निष्पादित करवा दिये। अभी हाल ही में प्रार्थीगण को पटवार हल्का तनावडा से खसरा संख्या 118 के सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रार्थीगण के साथ छल करते हुए वक्त राजीनामा झूठ कहा कि मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार 98 बीघा 19 बिस्वा जमीन न होकर मौके पर 14 बीघा 19 बिस्वा जमीन कम है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्राथीगण की उक्त बात पर विश्वास किया गया जबकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बिना बताये खसरा संख्या 118 की मौके पर कम बताई जाने वाली 14 बीघा 19 बिस्वा को सम्मिलित करते हुए बाले–बाले आपसी सहमति अनुसार श्री तहसीलदार साहब लूणी के आदेश क्रमांक 3099 दिनांक 19.09 2012 की अनुपालना में बंटवाडा म्यूटेशन संख्या 1745 पारित करवाते हुए अप्रार्थी संख्या एक से चार ने प्रार्थीगण को बिना बताये एवं प्रार्थीगण की बिना सहमति राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बंटवाडे का म्यूटेशन दिनांक 20.09.2012 को स्वीकृत करवा दिया जबकि उक्त जमीन में प्रार्थीगण भी मौके पर काबिज काश्त एवं खातेदार थे, इसलिये अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की बिना सहमति बंटवाडा करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही था। इसलिये प्रार्थीगण उक्त बंटवाडा विलेख के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 1745 निरस्त घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की बिना सहमति अप्रार्थीगण को कतई अधिकार नही था कि उनके द्वारा मौके पर कम बताई जाने वाली कृषि भूमि को सम्मिलित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

करते हुए आपसी बंटवाडा करे तथा उक्त जमीन का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा हुए बिना अप्रार्थीगण अकेलों को उक्त जमीन के बाबत् बंटवाडा करने का कतई अधिकार नही था, फिर भी अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर तहसीलदार लूणी के आदेश क्रमांक 3099 दिनांक 19.09.2012 वास्ते आपसी सहमति बंटवाडा पारित करवा दिया जो तहसीलदार, लूणी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना सभी खातेदारों को सुने एवं बिना मौका निरीक्षण किये पारित किया गया। आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वर्ष 2006 में हुए राजीनामें व उक्त राजीनामें के आधार पर किये गये वाद विड्रॉ के आधार पर भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 पावन्द थे और उक्त राजीनामें के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को मौके पर कम बताई जाने वाली कृषि भूमि के बाबत् किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नही थे , फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सही तथ्यों को छिपाते हुए झूठा राजीनामा किया गया और मौके पर कम बताई जाने वाली जमीन के बाबत् प्रार्थीगण को बिना बताये आपसी बंटवाडा कर दिया, जिसे प्रार्थीगण निरस्त घोषित करवाने के व उक्त 14 बीघा 19 बिस्वा जमीन के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः यह प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत है। अभी हाल ही में प्रार्थीगण को पटवार महोदय ग्राम तनावडा के पास अपना खसरा संख्या 118 की सम्पूर्ण जमाबन्दी की नकले लेने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 ने शेष बची 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 13 बीघा भूमि का बेचाननामा प्रार्थीगण को बिना बताये धोखे में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 06 व 07 के हक में निष्पादित करवा दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रार्थीगण को धोखे में रखते हुए कूटरचित तरीके से विधि विरूद्ध बेचाननामा अप्रार्थी संख्या 6 से 7 के हक में सम्पूर्ण राशि प्राप्त करते हुए अकेले निष्पादित करवा दिया जबकि उक्त शेष बची भूमि 14 बीघा 19 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का केवल एक तिहाई हक हिस्सा है अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को केवल अपने एक तिहाई हक हिस्से को ही बेचान करने का अधिकार था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने अपने हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से को शामिल करते हुए बेचान कर दिया है, जो गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि से ज्यादा भूमि का बेचाननामा निष्पादित करवा दिया, परन्तु उक्त बेचाननामा विधि की नजरों में शून्य है, क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की जमीन बेचने का किसी प्रकार से अधिकार नही था, परन्तु उक्त विधि विरूद्ध तरीके से खरीदी गई जमीन को अप्रार्थी संख्या 6 व 7 आगे बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है। अतः अप्रार्थीगण अपने मकसद में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही खत्म हो जायेगा तथा प्रार्थीगण को न पूर्ण होने वाली अपूर्णीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण को दौराने लम्बित वाद वादग्रस्त जमीन की यथास्थिति बनाई रखे जाने के लिये पावन्द किये जाने से उनके हितों के विपरीत किसी भी प्रकार से प्रभाव नही पडेगा। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अतः यह अस्थाई निषेधाज्ञा का

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

ार्थना–पत्र बहस प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि उनके द्वारा उक्त जमीन के बाबत् किसी प्रकार की चाराजोही की तो वे उक्त जमीन से प्रार्थीगण का कब्जा बलपूर्वक हटा देंगे परन्तु प्रार्थीगण को इस तरह से अप्रार्थीगण के हक हकूकों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का कोई अधिकार नही है, जिन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है। अतः यह प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा प्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी जा रही है के यदि तुमने बेचाननामें के बाबत् किसी प्रकार का कोई वाद इत्यादि प्रस्तुत किया तो तुम्हारे खुद के हिस्से की भूमि में घुसने नही देंगे तथा तुम्हारे हिस्से की भूमि को हडप लेंगे। अप्रार्थीगण झगडा फसाद करने पर आमादा है। इस हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के समस्त तथ्यों व आधारों से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर बखूबी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अंत में निवेदन किया खसरा संख्या 118 वाके ग्राम तनावडा तहसील लूणी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्यों से करवाने तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.07.2019 को प्रस्तुत किया जिसमें यह वर्णित किया कि राजस्व वाद में जवाब दावा पेश कर दिया। राजस्व मूल वाद एवं राजस्व विधिक वाद (अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र) दोनो में अभिवचन एक ही है। अभिवचनों में कोई परिवर्तन भेद नही है। ऐसी स्थिति में जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करना अवश्यक न मानकर प्रतिवादीगण ने जो मूल दावे का जवाबदावा पेश किया है, उसको ही जवाब प्रार्थना–पत्र मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया।

मूल वाद में प्रस्तुत जवाब दावे का अवलोकन किया गया।

दोनो पक्षकारान् के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मिसल बन्दोबस्त, खतौनी तनावडा का अवलोकन किया गया। पूर्व में पक्षकारों के मध्य दावा व राजीनामा व दावे में कमिश्नर द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट का भी अवलोकन किया, जिससे साफ स्पष्ट है कि उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पुश्तैनी कृषि भूमि थी तथा अप्रार्थीगण ने पूर्व में हुए राजीनामें में उक्त भूमि को 1/3–1/3 हिस्सा सभी भाईयों का समान रूप से माना है। पूर्व में प्रस्तुत हुए दावे में मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का बराबर–बराबर हिस्सा कब्जा काश्त रही है एवं राजीनामें के अनुसार हुए बेचाननामा में भी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के प्रेडीसेशर इनटाईटल ने स्वीकार किया कि

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

बकाश्त जमीन निकलने पर तीनों भाईयों में 1/3-1/3 हिस्सा बांटना स्वीकार किया। इस प्रकार समस्त तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही साबित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित जान पडता हैं कि ताफैसला मूलवाद विवादग्रस्त आराजी के मौके की यथा स्थिति कायम रखी जावें तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में स्वंय अथवा अपने प्रतिनिधी के माध्यम से दखलंदाजी न करें या करवावें।

## आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 01.02.2018 को कन्फर्म करते हुऐ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं कि विवादित आराजी ग्राम तनावडा, तहसील लूणी के खसरा संख्या 118 रकबा 13 बीघा में ताफैसला मूलवाद विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति कायम रखी जावें।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner